दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE भारत INDIA Rs.10

बीस रुपये TWENTY RUPEES COURT FEE भारत INDIA Rs.20

(16)

प्र/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/2240

न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रं. /2017 निगरानी

श्री प्रदीप कु० श्रीवास्तव एडवो०
द्वारा आज दि. 18-7-17
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शिवरतन पुत्र श्री हीरालाल अनुरागी
निवासी ग्राम उदयपुर, तहसील गौरिहार,
जिला छतरपुर (म0प्र0)

— आवेदक

विरूद्व

बृजेश प्रजापति पुत्र श्री आर.डी.प्रजापति,
निवासी–पेप्टेक टाउन, नोगॉव रोड, छतरपुर
(म0प्र0)

— अनावेदक

18/07/2017.
प्रदीप. कु. श्रीवास्तव
एड.

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा पारित न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर म.प्र. प्रकरण क्रमांक 97/बी–121/ 2016–2017 मे पारित।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है :–

1. यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने दिनांक 23.02.2017 को एक आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर म.प्र. के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि खसरा कमांक 29 ग्राम मढा, तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर जो कि शासकीय भूमि है परंतु वर्तमान में आवेदक ने अपना इन्द्राज करा लिया और उस आधार पर अपना पेट्रोल पंप एच.पी.सी.एल. का स्वीकृत करा लिया है। उस पर से प्रकरण तहसीलदार तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर में जॉच हेतु आया जिस पर आवेदक ने एक आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि अनावेदक बृजेश कुमार प्रजापति एक प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति है और उसके पिता आर.डी.प्रजापति विधायक रह चुके हैं इसलिए

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

I / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 2240

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01 – 9 – 2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 97 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 4–7–17 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 4–7–17 को अंतिम आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध संहिता के प्रावधान अनुसार धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	